WESTERN RAILWAY

P.S.No. 19/2013

Headquarter Office, Churchgate, Mumbai-20

No. EP (P&A)81/2(HPCA/PCA)

Date: 21.03.2013

To,

All DRMs / CWMs & Units Incharge,

C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.

C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai

C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Revision of the existing rates of Hospital Patient Care Allowance and Patient Care Allowance to eligible Group 'C' & 'D' (Non-Ministerial) Railway Employees working in Railway Hospitals and Health Units/Clinics, w.e.f. 01.09.2008.

A copy of Railway Board's letter No.E(P&A)II-2013/AL-3 dated 20.02.2013 (RBE No.15/2013) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letters mentioned therein have been circulated by this office as indicated below:-

Railway Board's letter No. & date	Circulated under this office letter No.& date
E(P&A)II-98/HW/6 dt. 9.1.2008	E(P&A)100/0 dt.17.1.2008 (P.S.No. 04/2013)

Encl: As above.

25 + 21/3 | 20/3. (S. Kademani)

For General Manager (E)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 15/2013

No. E(P&A)II-2013/AL-3

New Delhi dated 20.2.2013.

The General Managers/CAOs, All Indian Railways & Production Units.

Sub.: Revision of the existing rates of Hospital Patient Care Allowance and Patient Care Allowance to eligible Group 'C' & 'D' (Non-Ministerial) Railway Employees working in Railway Hospitals and Health Units/ Clinics, w.e.f. 01.09.2008.

Hospital Patient Care Allowance/Patient Care Allowance was introduced on the Railways in terms of Board's letter no. E(P&A)II-98/HW-6 dt. 09.01.2008.

Consequent to the decision conveyed by the Ministry of Health & Family Welfare vide their Office Memorandum no. Z.28015/119/2012-H dt. 17.12.2012, Board has decided to double the existing rates for payment of HPCA/PCA to all eligible Group 'C' & 'D' (Non-Ministerial) employees working in Railway Hospitals and Health Units/ Clinics, w.e.f. 01.09.2008. The amount of HPCA/PCA would be automatically raised by 25% every time the Dearness Allowance on the revised pay structure goes up by 50%. This is subject to the following terms & conditions:-

- (i) HPCA/PCA may be admissible in case the individual proceeds on leave/training for less than one calendar month.
- (ii) HPCA/PCA may not be admissible in case the individual proceeds on leave/training for more than one calendar month.
- (iii) HPCA/PCA should not be admissible in case of unauthorized leave.
- 2. The other terms and conditions regarding admissibility of HPCA/PCA as contained in Board's letter E(P&A)II-98/HW-6 dt. 09.01.2008 shall remain the same.
- 3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(K. Shankar)

Fanllay

Director/E(P&A)
Railway Board.

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(पी एण्ड ए) II-2013/ए एल-3

आरबीई. 15 / 2013 नई दिल्ली, दिनांक 20.02.2013

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासिनक अधिकारी सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषयः रेलवे अस्पतालों तथा स्वास्थ्य यूनिटों/क्लिनिकों में कार्यरत पात्र ग्रुप 'सी' एवं 'डी' (गैर-लिपिक वर्गीय) रेल कर्मचारियों को अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता की विद्यमान दरों में 01.09.2008 से संशोधन करना ।

बोर्ड के दिनांक 09.01.2008 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए) II-98/एचडब्ल्यू-6 के अनुसार अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोंगी देखभाल भत्ता रेलों पर लागू किया गया था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने 17.12.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं जीड.28015/119/2012-एच के माध्यम से संस्चित निर्णय के परिणामस्वरूप बोर्ड ने रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य यूनिटों/क्लिनिकों में कार्यरत सभी पात्र ग्रुप 'सी' और 'डी' (गैर-लिपिक वर्गीय) कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता के भुगतान की विद्यमान दरों को 01.09.2008 से दोगुना करने का विनिश्चय किया है। संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ता हर बार बढ़कर 50% होने की स्थित में अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता की रकम स्वतः ही 25% बढ़ जाएगी। ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा:-

- यदि कोई व्यक्ति एक कलेण्डर माह से कम की छुट्टी /प्रशिक्षण के लिए जाता है तो अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता अनुमेय होगा।
- ii) यदि कोई व्यक्ति एक कलेण्डर माह से ज्यादा की छुटी/प्रशिक्षण के लिए जाता है तो अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता अनुमेय नहीं होगा।
- iii) अप्राधिकृत छुट्टी के मामले में अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता अनुमेय नहीं किया जाना चाहिए।
- 2. बोई के दिनांक 09.01.2008 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)/II-98/एचडब्ल्यू-6 में अंतर्विष्ट अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता की स्वीकार्यता की अन्य शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
- 4. कृपया पावती दें।

(के. शंकर)

निदेशक/ई(पी एण्ड ए)

रेलवे बोर्ड